[9/3/2018]

विधानसभा सत्र फरवरी–मार्च–2018 का अतारांकित प्रश्न क्रमांक–463 माननीय विधायक श्री दुर्गालाल विजय दिनांक 01/03/2018 से दिनांक 09/03/2018 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर का परिशिष्ट "अ" पेज संख्या–1 से 3 तक

(1)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05 FEB 2018
7-2-2018

क्रमांक एफ 12–15/2017/सत्रह/मेडि–तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में ट्रामा यूनिट की स्थापना हेतु प्रति जिले के मान से निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को सृजन करते हुये निम्न तालिका अनुसार 2630 अतिरिक्त पदों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है:–

क्र	पदनाम	वेतनमान +ग्रेड पे	प्रत्येक जिले के मान से पदों की संख्या	प्रावधानित पदों की संख्या	पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत अतिरिक्त पद
1	मेडिकल विशेषज्ञ	15600–39100+6600	1	51	50	1
2	शल्य क्रिया विशेषज्ञ	15600–39100+6600	2	102	–	102
3	निश्चेतना विशेषज्ञ	15600–39100+6600	2	102	50	52
4	अस्थि रोग विशेषज्ञ	15600–39100+6600	2	102	50	52
5	चिकित्सा अधिकारी	15600–39100+5400	6	306	250	56
6	स्टाफ नर्स	5200–20200+2800	25	1275	12	1263
7	रेडियोग्राफर	5200–20200+2800	2	102	–	102
8	लेब टेक्नीशियन	5200–20200+2800	2	102	–	102
9	ओ.टी टेक्नीशियन	5200–20200+2400	4	204	–	204
10	ड्रेसर ग्रेड–2	5200–20200+1800	4	204	6	198
11	वार्ड वाय	4440–7440+1300	4	204	12	192
12	वाहन चालक	आऊटसोर्स	2	102	–	102
13	सफाई कार्मचारी	आऊटसोर्स	4	204	–	204
		कुल	60	3060	430	2630

2/– उपरोक्त अतिरिक्त पदों की स्वीकृति में से सामान्य क्षेत्रों के 21 जिला चिकित्सालयों (बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, गुना, हरदा, होशंगावाद, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सीहोर, सिवनी, सीधी एवं सिंगरौली) का व्यय मांग संख्या–19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी, 110–अस्पताल और औषधालय, 0101–सामान्य, (8798) चिकित्सालयों का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3/– उपरोक्त अतिरिक्त पदों की स्वीकृति में से आदिवासी क्षेत्रों के 11 जिला चिकित्सालयों (अलीराजपुर, अनूपपुर, बैतूल, बड़वानी, धार, डिण्डौरी, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, शहड़ोल एवं उमरिया) का व्यय मांग संख्या–19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी, 110–अस्पताल और औषधालय, 0102–अनुसूचित जन जाति उपयोजना, (8798) चिकित्सालयों का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

संयुक्त संचालक (अस्प. प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

- उपरोक्त अतिरिक्त पदों की स्वीकृति में से आदिवासी क्षेत्रों के 19 जिला चिकित्सालयों (अशोकनगर, आगर–मालवा, भिण्ड, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, ग्वालियर, इन्दौर, मुरैना, रायसेन, सागर, सतना, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा) का व्यय मांग संख्या–19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी, 110–अस्पताल और औषधालय, 0103– अनुसूचित जाति उपयोजना, (8798) चिकित्सालयों का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

- पूर्व में स्वीकृत ट्रामा सेंटर के 430 पदों को संबंधित जिलों में समायोजित करते हुये उपोक्तानुसार तालिका में अतिरिक्त पदों मात्र 2630 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । ट्रामा सेंटर हेतु प्रत्येक जिले हेतु उपकरण फर्नीचर राशि रू 104.34 लाख, 51 जिलों हेतु कुल राशि रू 5321.34 लाख पर होने वाला अनावर्ती व्यय का वहन राज्य बजट मद/के–डिपाजिट/भारत शासन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से किया जावेगा ।

- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन कमांक ....
दिनांक .... द्वारा महालेखाकार म0प्र0 को पृष्ठांकित की गई है ।

लोक स्वा0 विभाग के पृ0 क्र0 12-15/17-3 दि0 5/2/18 की दो प्रतियाँ (अतिरिक्त प्रति सहित) महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को वित्त विभाग के पृ0 क्र0 15/R/145/86, दिनांक 7/2/2018 द्वारा पृष्ठांकित की गई।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग (बजट-6)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्र एफ 12–15/2017/सत्रह/मेडि–तीन

भोपाल, दिनांक 05 FEB 2018
7 2 2018

प्रति–

सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
सचिव (समन्वय) मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, योजना,आर्थिक, सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश भोपाल।(बेबसाइट पर अपलोड करावें)
मिशन संचालक, एनएचएम, मध्य प्रदेश भोपाल।
आयुक्त कोष, लेखा एवं पेशन मध्य प्रदेश भोपाल।
समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।

13. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
14. समस्त क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्य प्रदेश।
16. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश।
17. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश।
18. मुख्य अभियंता संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
19. अनुभाग अधिकारी, शाखा–1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
20. आर्डर फ़ाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

AN

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Update